फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

शाहजहां खान वगैरह बनाम श्रीमान जिला कलक्टर, चूरू वगैरह

किस्म मुकदमा : अपील एल.आर.एक्ट

अपील संख्या 181/2025

GCMS No. 2025/221

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
06.11.2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्री ओम प्रकाश चाण्डक ने प्रार्थना–पत्र प्राथमिक कानूनी आपत्ति प्रस्तुत कर एव दौराने बहस बताया कि अपील अपीलांट में किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त ऐसा कोई आदेश अपीलाधीन नहीं है, जिसके विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। इसलिए अपील अपीलांट मैन्टेनेबल ही नहीं है। उक्त अपील सीमाज्ञान के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है और सीमाज्ञान के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में पोषणीय नहीं हैं। प्रशासनिक कार्यवाही के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील संधारण योग्य नहीं है। सेटलमेंट अधिकारी के निर्देश से गठित टीम द्वारा की गई पेमाइश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील नहीं हो सकती है। माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश संदर्भित सुनवाई न्यायालय हाजा में अपील के माध्यम से नहीं हो सकती है। अपील अपीलांट प्रकरण हाजा के किसी प्रकरण में पक्षकार नहीं रहें है। अपील बिना पूर्वानुमति लिए व बिना अपील की पूर्वानुमति का निवेदन किये प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में संधारण योग्य नहीं हैं। अतः उक्त अपील इसी स्तर पर प्राथमिक आपत्ति के आधार पर खारिज की जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपील संबंध में न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर 2002 एस.सी 204, आर.आर.डी 1981 पेज नं. 320, आर.बी.जे 1999 पेज नं. 317, आर.आर.डी 1993 पेज नं 232, आर.आर.डी 1989 पेज नं. 292, आर.एल.डब्ल्यू 2009(2) पेज नं. 848, ए. आई.आर 1956 आर.एच.सी 65 एवं ए.आई.आर 1974 एस.सी 1726 का हवाला दिया। अपील अपीलांट के उक्त प्रार्थना–पत्र प्राथमिक आपत्ति के संबंध में जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपील आपत्ति में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त ऐसा कोई आदेश अपीलाधीन नहीं है जो अपील अपीलांट को स्वीकार्य नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का द्वितीय कथन, "सीमाज्ञान के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है" उक्त वर्णित तथ्य बेवजह गलत बयानी स्वीकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का द्वितीय कथन, "प्रशासनिक कार्यवाही के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील संधारण योग्य नहीं है" उक्त वर्णित तथ्य बेवजह गलत बयानी स्वीकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का	

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

द्वितीय कथन, "सेटलमेंट अधिकारी के निर्देश से गठित टीम द्वारा की गई पेमाइश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील नहीं हो सकती है" उक्त वर्णित तथ्य बेवजह गलत बयानी स्वीकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का द्वितीय कथन, "माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश संदर्भित सुनवाई न्यायालय हाजा में अपील के माध्यम से नहीं हो सकती है" उक्त वर्णित तथ्य बेवजह गलत बयानी स्वीकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का द्वितीय कथन, "अपील बिना पूर्वानुमति लिए व बिना अपील की पूर्वानुमति का निवेदन किये प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में संधारण योग्य नहीं है" उक्त वर्णित तथ्य बेवजह गलत बयानी स्वीकार नहीं है। अपील अपीलांट पूर्णतया विधिक रूप से पोषणीय है तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। तहसीलदार रिपोर्ट में हम सभी के नाम है सीमाज्ञान से हम हितबद्ध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र महज वास्तविक बिन्दुओं पर सुनवाई से बचने के कारण प्रस्तुत किया है। अतः प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रतिवादी भारी खर्चे के साथ खारिज किया जावें। अभिभाषक अपील अपीलांट ने अपील संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी 2020 (2) पेज नं. 225, आर.आर.टी 2020 (2) पेज नं. 226, आर.एल.डब्लयू 2002 पेज 1122, आर.बी.जे 1999 पेज नं. 317, ए.आई.आर 1987 एससी 258, ए.आई.आर 1975 एससी 2092, एवं आर.आर.टी 2019(2) पेज 1206 का हवाला दिया।

हमने अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति, जवाब प्राथमिक आपत्ति एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा अभिभाषकगण प्रार्थना पत्र बहस पर मनन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के प्राथमिक आपति में उठाये गये इस तथ्य से हम सहमत है कि उक्त प्रकरण में जो पैमाईश की गई है, वह भू–प्रबंध अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 08.08.2025 के तहत संयुक्त टीम गठित कर की गई है। वस्तुतः भू प्रबंध अधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश की अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं है। राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत भू प्रबंध अधिकारी द्वारा जारी आदेश की अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त को नहीं हो सकती। संयुक्त पैमाईश रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि यह किसी न्यायालय का कोई आदेश भी नहीं है, जिसको इसप्रकार से चुनौती दी जा सके। यह एक प्रकार से प्रशासनिक दृष्टि का आदेश है, जिसकी अपील पोषणीय नहीं है। साथ ही यह तथ्य भी विचारणीय है कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने से पूर्व 96 सीपीसी का कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं किया है। इसलिये बिना पूर्व अनुमति के इसप्रकार की अपील भी चलने योग्य प्रतीत नहीं होती है। विद्वान

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस यह अवगत कराया कि इसप्रकार के सीमाज्ञान अथवा संयुक्त पैमाईश आदेश के खिलाफ अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त में हो सकती है। इसके संबंध में कानूनी प्रावधान व रूलिंग्स है, जो वो पेश कर देंगे, किन्तु ऐसे कोई कानूनी प्रावधान व रूलिंग्स अभिभाषक अपीलांट द्वारा पेश नहीं किये गये। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस के आधार पर उक्त अपील में प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपति स्वीकार कर अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। परंतु इस प्रकरण में गत खसरा नंबर 54 हाल खसरा नंबर 562/69, 65, 67, 29 व 129 बने है, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिनांक 11.08.2025 जारी किये गये है। अतः उभय पक्षकारान से यह अपेक्षा की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय के संदर्भ में यथास्थिति बनाये रखेंगे।

तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 06.11.2025 का लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर